बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :– 2/अ०प्र०–7–08/2022 647 /पटना, दिनांक :– 28.3.23

श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को 40,000/– (चालिस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं श्री सहनी के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 042/2022 दिनांक 22.08.2022, धारा–7 (a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किये जाने के संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त पत्रांक 2256 दिनांक 26.08.2022 योजना एवं विकास विभाग द्वारा अपने पत्रांक 4184 दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. विभागीय पत्रांक 7632 दिनांक 31.10.2019 द्वारा योजना एवं विकास विभाग में प्रतिनियुक्त ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को निलंबित करने, लघुदंड देने एवं विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की शक्ति योजना एवं विकास विभाग को प्रत्यायोजित किये जाने तथा श्री सहनी के विरूद्ध आरोप स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से संबंधित होने के कारण इस मामले में अग्रतर कार्रवाई उनके स्तर से ही किया जाना उचित होगा, का उल्लेख करते हुए विभागीय पत्रांक 2101 दिनांक 14.12.2022 द्वारा योजना एवं विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया गया ।

3. इस बीच योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना सं. 428 दिनांक 19.01.2023 द्वारा श्री सीताराम सहनी, सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग को वापस कर दी गई है। अधिसूचना में उल्लेखित है कि इस मामले में श्री सहनी को वृहद दण्ड दिये जाने की संभावना है एवं वृहद दंड देने की शक्ति योजना एवं विकास विभाग को प्रदत नहीं है। अतएव इस निमित्त श्री सहनी के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्रवाई इनके पैतृक विभाग ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

4. निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के पत्रांक 2256 दिनांक 26.08.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल के द्वारा दिनांक 22.08.2022 को परिवादी श्री विनय कुमार से 40,000/– (चालिस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस मामले में श्री सहनी के विरूद्ध विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 042/2022 दिनांक 22.08.2022, धारा–7 (a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय में प्रस्ततु किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में भेजा गया।

5. श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के कारण इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 9 (1)(क),(ग) एवं 9 (2)(क) के तहत दिनांक 22.08.2022 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.i

7. कारा से रिहा होने के पश्चात श्री सीताराम सहनी, सहायक अभियंता अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान करेंगे।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/3/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–08/2022 648 /पटना, दिनांकः– 28.3.23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–08/2022 648 /पटना, दिनांकः– 28.3.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–7–08/2022 648 /पटना/दिनांकः– 28.3.23

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी–5/ प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री सीताराम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–08/2022 648 /पटना/दिनांकः–28.3.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2 / अ०प्र०–7–08 / 2022 648 / पटना / दिनांकः– 28.3.23

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/3/2023

विशेष सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@ni